1936C A protest note against widow marriage act

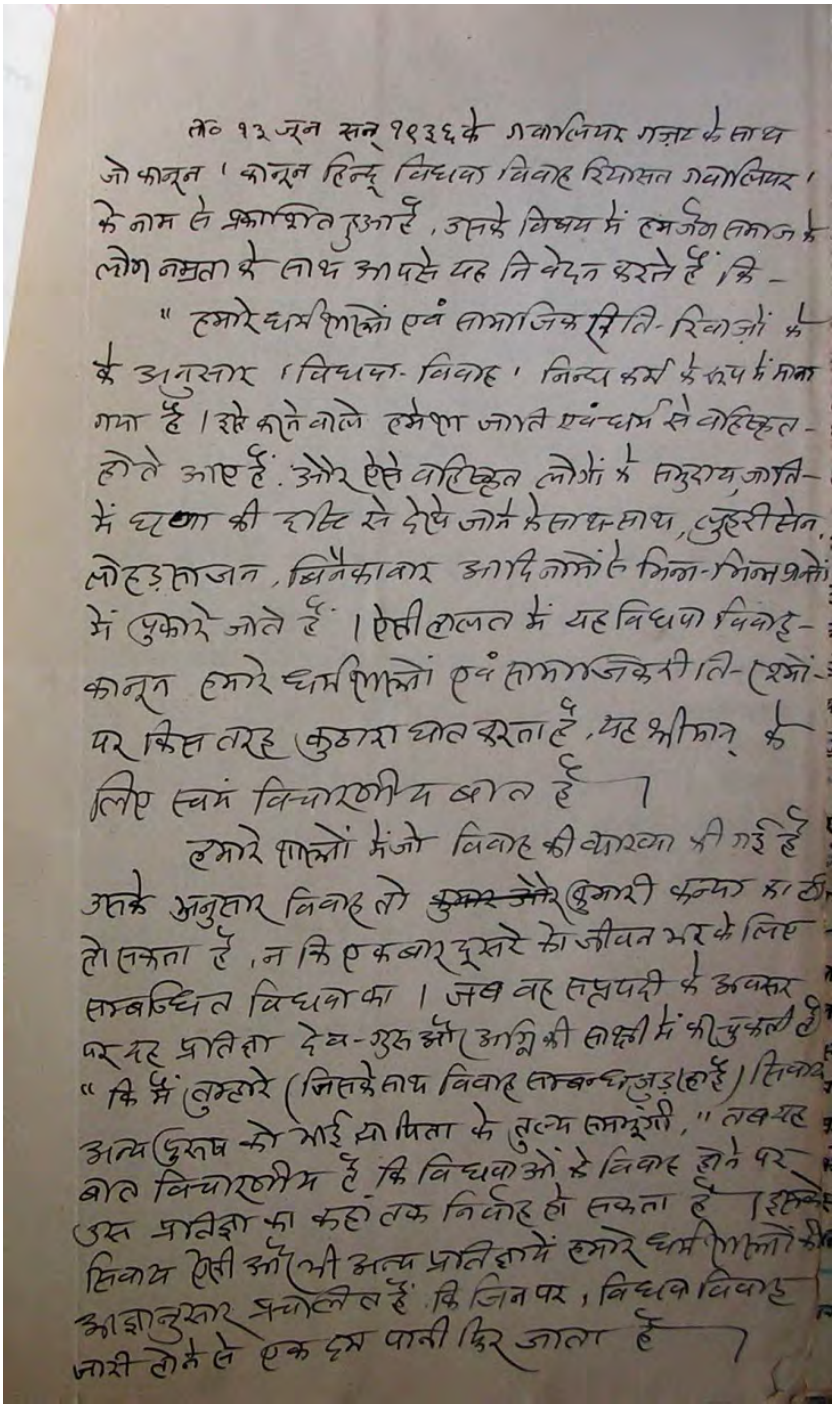

ता० १३ जून सन् १९३६ के ग्वालियर गज़ट के साथ जो कानून 'कानून हिन्दू विधवा विवाह रियासत ग्वालियर' के नाम से प्रकाशित हुआ है, उसके विषय में हम जैन समाज के लोग नम्रता के साथ आपसे यह निवेदन करते हैं, कि –

" हमारे धर्मशास्त्रों एवं सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार 'विधवा-विवाह' निन्द्य कर्म के रूप में माना गया है। इसे करने वाले हमेशा जाति एवं धर्म से बहिष्कृत होते आए हैं। और ऐसे बहिष्कृत लोगों के समुदाय, जाति में घृणा की दृष्टि से देखे जाने के साथ-साथ, दुहरीसेन, लोहड़साजन, बिनैकावार आदि नामों से भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पुकारे जाते हैं। ऐसी हालत में यह विधवा विवाह-कानून हमारे धर्मशास्त्रों एवं सामाजिक रीति-रस्मों पर किस तरह कुठाराघात करता है, यह श्रीमान् के लिए स्वयं विचारणीय बात है।

हमारे शास्त्रों में जो विवाह की व्याख्या की गई है उसके अनुसार विवाह तो ~~कुमार और~~ कुमारी कन्या का ही हो सकता है, न कि एक बार दूसरे को जीवन भर के लिए सम्बन्धित विधवा का। जब वह सप्तपदी के अवसर पर यह प्रतिज्ञा देव-गुरु और अग्नि की साक्षी में कर चुकती है " कि मैं तुम्हारे (जिसके साथ विवाह सम्बन्ध जुड़ा है) सिवाय अन्य पुरुष को भाई या पिता के तुल्य समझूंगी, " तब यह बात विचारणीय है कि विधवाओं के विवाह होने पर उस प्रतिज्ञा का कहां तक निर्वाह हो सकता है। इसके सिवाय ऐसी और भी अन्य प्रतिज्ञायें हमारे धर्मशास्त्रों की आज्ञानुसार प्रचलित हैं कि जिन पर, विधवा विवाह जारी होने से एक दम पानी फिर जाता है।

हमारे धर्मशास्त्रों के ~~अनुसार~~ तीनों उच्च वर्णों की तो बात जाने दीजिए, किन्तु शूद्रों में भी सत्-शूद्र (जिनके कि हाथ का पानी हम लोग पी सकते हैं / या पीते हैं) उन्हीं लोगों को माना है कि जिनके यहां कन्या का एक बार ही विवाह होता है (एकपरिणयन शीला: सच्छूद्रा:) की यह हमारे परम मान्य एवं राजनीति और धर्मशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ नीतिवाक्यामृत का वाक्य है।

इस शास्त्रीय-प्रमाण से यह बात एक दम स्पष्ट हो जाती है कि जो लोग विधवा विवाह करते हैं वे हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार सत्-शूद्र से भी गये-बीते हैं अर्थात् अस्पृश्य शूद्र हैं। इसलिए जब हमारे सामाजिक और धार्मिक दोनों रिवाज़ों के मुताबिक 'विधवा-विवाह' हर तरह नाजायज है, तो 'उक्त कानून' की सभी उपधारायें हमारे धार्मिक एवं जातीय हकों पर कुठाराघात करने वाली सिद्ध हो जाती हैं। अतएव श्रीमान् की सेवा में हमारी समस्त जैन समाज यह नम्र निवेदन करती है कि इस 'विधवा-विवाह' कानून से जैन समाज को एकदम पृथक रखा जाय। ~~यदि हम~~

यदि हमारी इस सर्वप्रकारेण न्यायोचित पुकार पर ध्यान न दिया जायगा, और कानून के बल पर उक्त कानून को ~~अमल में~~ हमारी समाज के लिए लागू किया जायगा, तो रियासत की जैन समाज में ही नहीं, अपितु सारे भारत की जैन समाज में प्रबल विरोध एवं अशान्ति भड़क उठेगी। हम चाहते हैं कि आपके राम-राज्य में ऐसी नौबत न आने पावे और सब लोग अपने २ धार्मिक हकों को सदा की भांति पालते चले जावें।